



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. - 41381 सन् 2025

मोहम्मद रिहान

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक(कों) के अधिवक्ता

:

सैयद शाहनवाज़ शाह

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

यह जमानत अर्ज़ी अभियुक्त-आवेदक की ओर से दायर की गई है, जिसमें वाद अपराध संख्या 336/2024 में जमानत पर रिहाई की मांग की गई है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 191(2), 191(3), 190, 221, 132, 121(1), 121(2), 109(1), 125, 223(b) और आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7 के तहत, पुलिस थाना कोतवाली संभल, जिला संभल में दर्ज है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी- आवेदक निर्दोष है। उसे इस मामले (वाद अपराध संख्या) में झूठा फंसाया गया है और वह 24.11.2024 से जेल में बंद है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी मुस्तफा हसन उर्फ राजू, मोहम्मद अली और हसन को न्यायालय द्वारा क्रमशः आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 36833/2025, 32663/2025 और 32613/2025 में पारित आदेश दिनांक 11.11.2025, 23.09.2025 और 23.09.2025 के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उसके

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्याय की प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है।

अतः, जमानत दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

इसके विपरीत, विद्वान विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन वे उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके। उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सज़ा की गंभीरता और सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्ट्या मामले पर विचार करते हुए किंतु मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना—जमानत का एक मामला बनता है। तदनुसार, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

उपर्युक्त वाद अपराध संख्या में शामिल अभियुक्त-आवेदक, मोहम्मद रिहान को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उसी राशि का एक निजी मुचलका और दो विश्वसनीय जमानतें प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/ उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई हर तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित कोर्ट द्वारा उसके अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट न दे दी जाए।

उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, अवर न्यायालय को उसकी जमानत रद्द करने की कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी।

7 जनवरी, 2026

न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।